

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

25

क्रमांक:-प.3(979)नविवि/3/2008-पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.03.2011

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- फार्म हाऊस की नियमन की दरों के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-10/2011/डी-864
दिनांक 17.03.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख हैं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 दिनांक 21.07.2003 एवं टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए फार्म हाऊस के प्रकरणों में बाह्य विकास शुल्क देय नहीं हैं।

अतः परिपत्र दिनांक 21.07.2003 एवं टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए फार्म हाऊस के प्रकरणों में कार्यवाही करने का श्रम करावें।

भवदीय

६०

(ए.एल. मीणा)

उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास,

16/3/11
उप शासन सचिव-तृतीय

जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण